MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

No. F. No. MLSU/Rules/2023/52 Dated: 15.06.2023

CIRCULAR

In compliance of the Finance Department, Government of Rajasthan order No.प.13(12) वित्त(नियम)/2021, dated 20th April, 2023 and Higher Education Department (Group – IV) letter No.प.14(2) शिक्षा-4/2023, dated 16-05-2023 (copy enclosed), in connection with the implementation of the Old Pension Scheme (OPS), to expedite the process we are accepting the option forms (copy enclosed) as per the finance department schedule mentioned in above referred order in the Registrar's Office through proper channel from the employees recruited on or after 01/01/2004 who wish to opt for the old pension scheme as per the Govt. rules as it is principally approved by the BOM held on 03/06/2023. In case an employee does not submit option form within the prescribed duration, then he/she will be deemed to have opted for their previous scheme only.

(Suresh Kumar Jain)
COMPTROLLER

Forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Joint Secretary, Finance Department, Jaipur
2. The Joint Secretary, Higher Education, Jaipur
3. The Registrar/Controller of Exam, MLSU, Udaipur.
4. The Comptroller, MLSU, Udaipur.
5. The P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, MLSU, Udaipur.
6. The Dean, College of Science/UCSSH/Commerce/Law/MLSU, Udaipur.
7. The Hon. Director, FMS, MLSU, Udaipur.
8. The Head Department of Geology (PG) MLSU, Udaipur.
9. The Chief Warden, University Hostels, MLSU, Udaipur.
10. The Dy. Registrar (Meeting) for reporting in next B.O.M.
11. The Dy. Comptroller, Planning, MLSU, Udaipur.
12. The A.R. Estt. I-II/Exam./Secrecy, MLSU, Udaipur.
13. The University Engineer, Estate Office, MLSU, Udaipur.
14. The Sr. Account Officer (Treasury), MLSU, Udaipur.
15. The Dy. Librarian, Univ. Central Library/
16. The Chairman Sports Board, MLSU, Udaipur.
17. The A.O. (Pension), MLSU, Udaipur.
18. The S.O. Bill/A&C/P.F./Cash/Planning/ Recruitment/Estt. I-II, MLSU, Udaipur.
19. Information to V.C. Helpline, MLSU, Udaipur.

(Suresh Kumar Jain)
COMPTROLLER

CamScanner

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

जयपुर, दिनांकः 16.5.2023

क्रमांकः प. 14 (2) शिक्षा–4/2023

1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलसचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
3. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
10. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
12. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः– राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशाषी निकायों/विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में, जहां एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में तथा जहां सीपीएफ/ईपीएफ योजना लागू थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना लागू करने बाबत।

संदर्भः– विभाग का ई–मेल दिनांक 2.5.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान विभाग के ई–मेल दिनांक 2.5.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 20.4.2023 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गई थी।

इस संबंध में लेख है कि मा0 मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023–24 के बिन्दू संख्या 151 की पालना में वित्त (नियम) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 13 (12) वित्त (नियम)/2021, दिनांक 20.4.2023 द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशाषी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां, एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में तथा आदेश क्रमांक प. 13 (12) वित्त (नियम)/2021, दिनांक 20.4.2023 द्वारा जहां सीपीएफ/ईपीएफ योजना लागू थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्रों की फोटो प्रतियां पुनः संलग्न कर लेख है कि उक्त दोनों आदेशों के अनुसरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(डॉ. फिरोज अख्तर)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
3. वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 20 APR 2023

आदेश

विषयः राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. **प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन –**

1.1 राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा–निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.2 राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा–निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.3 राजकीय उपक्रम विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी होने के उपरान्त संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी।

1.4 यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो, अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करेगी।

1.5 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से PFRDA को अवगत कराया जायेगा। दिनांक 01.04.2023 से एन.पी.एस की नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी।

2. **GPF linked Pension Scheme तथा उसके अन्तर्गत पेंशन निधि –**

2.1 सभी संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू की जायेगी।

2.2 जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked Pension Scheme लागू है तथा पेंशन निधि गठित है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जाये। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है, तो उसे राज्य सरकार के पी.डी. खाते में संधारित किया जायेगा।

2.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने हेतु विनियम बनाये जा कर पेंशन निधि का गठन किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जायेगी।

2.4 जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन एवं संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति) को सभी संस्थाओं हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा तदानुसार अधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन एवं संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

3. GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते –

3.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स–ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे है।

3.2 भविष्य में GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत शासित होगे तथा इस हेतु जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं में जी.पी.एफ से सम्बन्धित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराने का प्रावधान किया जायेगा।

3.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाये जा कर इस हेतु प्रावधान किया जायेगा।

3.4 सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं निर्धारित की जायेगी।

4. पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प –

4.1 संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियाँ तथा GPF linked Pension Scheme संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30–6–2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

4.2. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प / विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह NPS का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।

4.3 सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

5. सेवानिवृत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि–

5.1 जिन संस्थाओं में दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक दिनांक 31–3–2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 30–6–2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने पर तथा प्राप्त की गई समस्त राशि मय समय समय पर प्रचलित जीपीएफ ब्याज दर के साथ ब्याज सहित एक मुश्त संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिनांक 1–4–2023 से देय होगा। यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदानुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अन्तर राशि भी उपरोक्तानुसार ब्याज दर के साथ एकमुश्त जमा करानी होगी।

5.2 यदि सेवानिवृत कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान एन.पी.एस से नियोक्ता अंशदान की राशि का अन्तिम प्रत्याहरण किया है तो, प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.3 पारिवारिक पेंशन हेतु GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6. <u>सेवानिवृत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश</u> –

6.1 सेवानिवृत कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा नहीं की जायेगी।

6.2 जो कार्मिक दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत होने वाले है, उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, उसका निस्तारण संस्था सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।

7. <u>सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी निर्देश</u> –

7.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के सम्बन्ध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2023 से निर्धारित की जायेगी।

7.2 पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत कार्मिक के सेवानिवृति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. <u>सेवारत कार्मिक के सम्बन्ध में निर्देश</u> –

8.1 जिन संस्थाओं में दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् के सेवारत कार्मिक NPS Subscriber हैं, इनके नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित दिनांक 30–6–2023 तक संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर इन सेवारत कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिनांक 1–4–2023 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्ति तिथि से देय होगा।

8.2 वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24–3–2022 द्वारा कुछ राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय आदि जिनमें पूर्व में पुरानी पेंशन योजना लागू थी तथा उन संस्थाओं में नवीन अंशदायी पेंशन हेतु 10 प्रतिशत मासिक कटौती दिनांक 1–4–2022 से समाप्त कर दी गई थी तथा इन मामलों में आदेश दिनांक 19–5–2022 के प्रावधान प्रभावी हो गये थे, ऐसी संस्थाओं में नियुक्त सेवारत कार्मिकों द्वारा नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित एक मुश्त संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर इन सेवारत कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिनांक 1–4–2022 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्ति तिथि से देय होगा। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा एक मुश्त राशि जमा होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2022 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2022 से निर्धारित की जायेगी।

8.3 सेवारत कार्मिक जो राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में विपरीत प्रतिनियुक्ति/पदस्थापित है, तो उन्हें भी अपने पैतृक संस्था को ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।

9. <u>सेवारत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश</u> –

9.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स–ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत उल्लेखित है। अतः भविष्य में सेवारत कार्मिक इन्हीं नियमों के अन्तर्गत शासित होगें।

9.2 सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे है। इन्हीं खातों में दिनांक 01.04.2023 से GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत जी.पी.एफ. विनियम में निर्धारित कटौती जो नियोक्ता अंशदान के बराबर है, को भी "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा किया जायेगा। सेवारत कार्मिकों की एन.पी.एस के अन्तर्गत स्वयं के

अंशदान की समस्त अर्जित राशि प्राप्त होने पर इस राशि को "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराया जायेगा।

9.3 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु कार्मिक की अंशदान राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में प्रतिमाह जमा होगी।

10. पेंशन भुगतान–

10.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2023 से निर्धारित की जायेगी।

10.2 पेंशन निधि के प्रारम्भिक गठन हेतु संस्था स्तर से राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एकमुश्त जमा की जा सकेगी।

10.3 पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.4 राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

11. अन्य निर्देश–

11.1 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19–5–2022 के परन्तुक के अनुसार NPS Subscriber के देहान्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पुरानी पेंशन योजना के अनुसार प्रोवीजनल आधार पर देने के मामलों में यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामलों में नयी पेंशन अधिकृति यथा संशोधित जारी की जायेगी तथा इसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जायेगा। अतः जिन संस्थाओं ने NPS Subscriber के देहान्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पुरानी पेंशन योजना के अनुसार प्रोवीजनल आधार पर स्वीकृत की है, वह दिनांक 1–4–2023 से इसे संशोधित कर नवीन पेंशन अधिकृति जारी करेंगे तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे। पारिवारिक पेंशन के अन्तर्गत नवीन पेंशन अधिकृति जारी करने पर पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संस्थाओं में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19–5–2022 से पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1–4–2022 से लागू की गई वहां दिनांक 1–4–2022 से पेंशन परिलाभ हेतु नवीन पेंशन अधिकृति जारी की जायेगी तथा अन्य सभी मामलों में दिनांक 1–4–2023 से नवीन पेंशन अधिकृति जारी की जायेगी।

11.2 जिन मामलों में संस्था में पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1–4–2022 से लागू की जा चुकी है उनके अतिरिक्त शेष सभी मामलों में सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के दिनांक 30–6–2023 तक जमा कराने पर ही विकल्प स्वीकार किया जा कर दिनांक 1–4–2023 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।

11.3 जिन संस्थाओं में NPS या किसी अन्य मद में पेंशन हेतु कोई कटौती नहीं की जा रही है उन संस्थाओं के दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त सेवारत नियमित कार्मिकों द्वारा नियमित नियुक्ति तिथि से उसके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की राशि की 10 प्रतिशत कटौती राशि एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित संस्था के पेंशन निधि में जमा कराई जाने पर तथा दिनांक 1–4–2023 से GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान दोनों 12 प्रतिशत की दर से संबंधी मदों में (पेंशन निधि एवं GPF-SAB) जमा कराने पर इन सेवारत कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।

यदि इन संस्थाओं में कार्मिकों की नियुक्ति दिनांक 1–1–2004 से पूर्व की है तथा कार्मिक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं और पेंशन हेतु किसी भी मद में कोई कटौती सेवाकाल में नहीं कराई गई है तो इन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा अपने सेवाकाल की दिनांक 31–3–2023 तक की नियोक्ता अंशदान की राशि CPF अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रचलित कटौती दर के अनुसार दिनांक 30–6–2023 तक पेंशन निधि में जमा कराने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा तथा स्वयं के अंशदान की सम्पूर्ण सेवाकाल की राशि GPF-SAB खाते में जमा कराने पर पुरानी पेंशन योजना हेतु पात्र होंगे।

11.4 पुरानी पेंशन योजना के संबंध में पेंशनरों/कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालयों में जो वाद दायर किये हुए हैं, उन न्यायिक वादों में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त तथा संस्था में इसे अंगीकार करने के उपरान्त सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की प्रार्थना से संबंधित बिन्दु पर संस्था द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर राजकीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। जो प्रकरण माननीय न्यायालयों से निर्णित / निस्तारित हो चुके हैं, उनमें भी इन आदेशों में निर्धारित दिशा–निर्देशों की सीमा तथा शर्तों पर और उसे सक्षम स्तर से एवं संबंधित कार्मिक / सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सहमत होने पर संबंधित कार्मिकों / सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।

11.5 पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

11.6 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से PFRDA को अनुमोदन हेतु भिजवाया जायेगा तथा राशि लौटाने हेतु अनुरोध किया जायेगा। जिन कार्मिकों पर NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान लागू हो जाते हैं उन कार्मिकों के संबंध में अंशदान के रूप में कोई भी कटौती NPS के अन्तर्गत भविष्य में नहीं की जायेगी।

11.7 कार्यरत कार्मिकों की NPS नियोक्ता अंशदान की राशि जो PFRDA के अन्तर्गत जमा है तथा 30–6–2023 तक प्राप्त नहीं होती है तो उक्त जमा राशि को कार्मिक भविष्य में संबंधित योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकेंगे। यदि उक्त राशि 30–6–2023 से पूर्व संबंधित संस्था को PFRDA से प्राप्त हो जाती है तो प्राप्त राशि की सीमा तक सेवारत कार्मिकों को नियोक्ता अंशदान की राशि जमा कराना आवश्यक नहीं होगा परन्तु शेष राशि मय ब्याज के उपरोक्तानुसार शर्तों के अन्तर्गत जमा करानी होगी।

11.8 सेवानिवृत्त / सेवारत कार्मिकों की NPS की जो कटौती है, संबंधित संस्थाओं द्वारा/ सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यदि PFRDA को नहीं भेज कर सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के बजट मद में जमा कराई गई है / है, तो इस हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से उनके द्वारा सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि में या बजट मद 8011 में जमा कराई गई राशि का reconciliation इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कर लें। सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि संस्था द्वारा सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से मिलान की गई राशि को संबंधित संस्था को लौटाने की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाये और संबंधित संस्था को यह राशि प्राप्त होने पर नियोक्ता अंशदान मय ब्याज आदि के पेंशन निधि में हस्तांतरित किया जाये एवं कार्मिक के अंशदान को GPF-SAB के खातों में हस्तांतरित किया जाये।

11.9 समस्त सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षित है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस

सम्बन्ध में सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराया जा सके। संस्था से भी अपेक्षित है कि समस्त कार्मिक/ सेवानिवृत्त कार्मिकों का NPS/ अन्य योजना से संबंधित समस्त रिकार्ड अतिशीघ्र संधारित कर लिया जाये ताकि विकल्प दिये जाने की स्थिति में राशि एवं उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके और राशि पेंशन निधि में समयबद्ध रूप से हस्तांतरित/जमा की जा सके।

उपरोक्त के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा बल्कि जमा राशि की जांच होने तथा तदनुसार निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकार करने पर नियमानुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी। यदि दिनांक 30.06.2023 को निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

<u>Encl : Option Form</u>

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

20/4/23
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 3 / 2023)

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization ....

A. To be filled by employees who were in service/retired and **also eligible family member of deceased employee** who were earlier governed by **NPS / no scheme** for switching over to Old Pension Scheme.

---

1. I, ... (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as .... or New Pension Regulation ....

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name :____
2. Designation :____
3. Department/Office :____
4. CPF/EPF No. (If any):_______________________________
5. Employee ID /GPF SAB No._______________________________________

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date

Name in Full

Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation

Continued....

B. To be filled by office :

Received from ……………………………………………………..………(Name & designation)

regarding option for ………………Pension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs…………

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs……………………

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs…………………………………………………………

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.

3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on ....

As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. ……………………………………………. is accepted for pension / family pension from .... (date)

Dated :

Time :

Signature with Seal
of the designation officer of the organization

(एस. जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव-II

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization ...MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY ., UDAIPUR.................

A. **To be filled by employees** who were in service/retired and **also eligible family member of deceased employee** who were earlier governed by **NPS / no scheme** for switching over to Old Pension Scheme.

---

1. I, ... (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as GPF LINKED PENSION SCHEME (OPS).......... or New Pension Regulation .Raj. Govt. FD(Rules) Jaipur- Order No. P.13(12) Finance(Rules)2021 dated: 20-04-2023

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name :____

2. Designation :____

3. Department/Office :____________________________________

4. CPF/EPF No. (If any):______________________________

5. Employee ID /GPF SAB No.______________________________

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date

Name in Full

Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation

Continued....

B. To be filled by office :

Received from ……………………………………………………..………(Name & designation)

regarding option for ..GPF LINKED.....Pension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs…………

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs……………………

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs…………………………………………………………

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.

3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on ....

As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. .... is accepted for pension / family pension from .... (date)

Dated :

Time :

Signature with Seal
of the designation officer of the organization

(एस. जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव-II